समक्ष माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्र. क्र. पी.बी.आर./ /निगरानी/15

निग/3375/II/15

1. आत्माराम आ0 श्री देवीसिहं
2. राजाराम आ0 देवी सिहं
3. दरियावसिहं आ0 श्री देवीसिहं
4. गनपत आ0 श्री भागीरथ
5. अर्जुन आ0 श्री भागीरथ
6. सिद्धूलाल आ0 श्री भागीरथ
7. अर्जुन आ0 श्री सागरमल
8. मनोहर आ0 श्री गणपत
9. सूरजसिहं आ0 श्री गणपत

निवासीगण ग्राम जसमत तहसील आष्ठा
जिला सिहोर म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

फूलसिहं आ0 श्री रतनसिहं
निवासी ग्राम जसमत तहसील आष्ठा
जिला सिहोर म0प्र0 .....अनावेदक

म0प्र भू–राजस्व सहिंता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान तहसीलदार तहसील आष्ठा जिला सिहोर द्वारा उनके प्रकरण क0 05/अ–70/ 14–15 में पारित आदेश दिनांक 27/07/2015 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आदेश कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने कि दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जसमत तहसील आष्ठा जिला सिहोर स्थित भूमि खसरा क0 140 रकवा 0.182 हेक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में अनावेदक के नाम पर दर्ज है अनावेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व कि भूमि से लगे हुए अनावेदकगण के मकान है । अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक के समक्ष अपने स्वत्व एवं स्वामित्व के भूमि के सीमांकन बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा सबधिंत हल्का पटवारी को सीमांकन करने के आदेश दिये । परन्तु हल्का पटवारी द्वारा हितबद्व पक्षकारो को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–3375/2/15 जिला–सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश आत्माराम/फूल सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–10–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री प्रेम सिंह ठाकुर उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । 2– यह निगरानी प्रकरण तहसीलदार तहसील आष्ठा के प्रकरण कमांक–05/अ–70 14–15 में पारित आदेश दिनांक–27.7.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से बताया गया, ग्राम सजमत तहसील आष्ठा जिला सीहोर की भूमि कमांक–140 रकवा 0.182 है0 राजस्व रिकार्ड में अनावेदक के नाम दर्ज है, आवेदक की उक्त स्वामित्व व स्वत्व की भूमि से लगी हुई अनावेदकगण के मकान बने हुए हैं । अनावेदक द्वारा जो सीमांकन कराया गया उसमें आवेदक गणों को कोई सूचना भी नहीं दी गयी और एक पक्षीय सीमांकन कार्यवाही करायी जाकर उक्त एक पक्षीय सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कराते हुए आवेदक गण को वेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें तहसीलदार द्वारा दिनांक–27.7.15 को आवेदकगण की आपत्ति यह अंकित करते हुए निरस्त कर दी गयी कि दावे का निराकरण साक्ष्य आदि के आधार पर तथा कब्जे आदि की स्थिति देखने बाद ही गुण दोष के आधार पर किया जावेगा । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा मूल दावे के जबाब हेतु प्रकरण में अंतिम अवसर के रूप में पेशी नियत की गयी है । इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु विचार में लिया जा रहा है ।	1

स्थान, तथा दिनांक

R.3375/2015

ग्रा०/अप०/हाईकोर्ट

निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया ।

मेरे द्वारा निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण वर्तमान में संहिता की धारा 250 के मूल दावे के जबाब के लिए नियत है जिसमें किसी प्रकार का गुणदोष के आधार पर अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है । तहसीलदार के उक्त आक्षेपित आदेश से किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हो रहे है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निगरानी में ग्राहयता का पर्याप्त आधार न होने से निगरानी अग्राहय की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि. हो ।

सदस्य